उत्तर प्रदेश शासन
कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3
संख्या-58/2025/404के-2/22-3-25-17(773)/23
लखनऊ : दिनांक:17 मार्च, 2026

आदेश

उत्तर प्रदेश के श्री राज्यपाल, भारत का संविधान के अनुच्छेद-161 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला कारागार, बिजनौर में निरूद्ध सिद्धदोष महिला बंदी केला देवी (बन्दी संख्या-73/2021) पत्नी श्री वेदपाल, निवासी ग्राम-पहलवानपुर, थाना-सरसाया, जनपद-सहारनपुर, जिन्हें सत्र परीक्षण संख्या-444/2014 के अन्तर्गत भा0द0वि0 की धारा-304बी, 498ए व 4 डी0पी0एक्ट में मा0 न्यायालय, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, न्यायालय सं0-10, सहारनपुर के आदेश दिनांक 27.08.2016 द्वारा आजीवन करावास से दण्डित किया गया, बंदी द्वारा दिनांक 28-11-2022 तक भोगी गई 08 वर्ष, 10 माह, 16 दिन की अपरिहार सजा तथा 10 वर्ष, 07 माह, 24 दिन की सपरिहार सजा, जेल रिपोर्ट के अनुसार आयु 55 वर्ष, संतोषजनक जेल आचरण होने तथा दयायाचिका समिति द्वारा महिला बंदी की 55 वर्ष की आयु, महिला बंदी द्वारा अपरिहार 08 वर्ष, 10 माह, 16 दिन तथा सपरिहार 10 वर्ष, 07 माह, 24 दिन की भोगी गई सजा, संतोषजनक जेल आचरण एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, सहारनपुर द्वारा समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने का कोई ठोस एवं तथ्यात्मक आधार अंकित नहीं किये जाने के दृष्टिगत सभी बिन्दुओं पर सम्यक विचारोपरान्त शेष सजा का परिहार करते है तथा यह आदेश देते हैं कि यदि उक्त महिला बंदी को किसी अन्य वाद में निरूद्ध रखा जाना वांछित न हो तो उसे अपनी शेष दण्डावधि में शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के लिये जिला मजिस्ट्रेट, सहारनपुर के संतोषानुसार दो जमानतें तथा उतनी ही धनराशि का एक निजी मुचलका प्रस्तुत करने पर महिला बन्दी को कारागार से मुक्त कर दिया जाय।

कमलेश कुमार
उप सचिव।

संख्या व तदनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- **जिला मजिस्ट्रेट, सहारनपुर।**
2- **वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर**
3- **अधीक्षक, जिला कारागार, बिजनौर।**
4- **नोडल अधिकारी/अधीक्षक जिला कारगार, गाजियाबाद को विशेष अनुज्ञा याचिका (किमि0) संख्या-**529/2021 **सोनाधर बनाम छत्तीसगढ़ राज्य तथा सुओ मोटो रिट पिटीशन (क्रिमि0) संख्या-**4/2021 **पालिसी स्ट्रेटजी फार ग्राण्ट ऑफ बेल में मा0 उच्चतम न्यायालय में पारित आदेशों के सन्दर्भ में।**
5- **निजी सचिव, मा0 मंत्री/राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन।**
6- **कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन।**
7- **गार्ड फाइल।**

आज्ञा से,
ममता श्रीवास्तव
अनु सचिव।

1- **यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।**
2- **इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट** http://shasanadesh.up.gov.in **से सत्यापित की जा सकती है ।**

http://shasanadesh.up.gov.in